

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/236

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128	178/24	23/5/24		13/6/24

अनवान

श्री गोपाल पुत्र नाथ
दास

श्री जसमल पुत्र हीरा

निवासी कल्याणपुरा

निवासी कल्याणपुरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेष्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री जोग प्रकाश दास

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

गोपाल

बनाम

जीतमल

किरम मुकदमा -

111-128

नम्बर

178

/2024

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जी इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

23/05
/2024

प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वारंते तलवी/जवाब दिनांक 13/06/2024 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

13/6/24

पत्रावली पेश हुई। ठाकुरवन्सा प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तालीम प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में एक-पक्षीय आदेश जारी किए गए। पत्रावली में आदेश जारी कर पालगर्ष तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली नम्बर दो कम होकर जारी कर दफ्तर की।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

20 जगदीश पुत्र श्री कजोड़ जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील बिजौलिया जिला
भीलवाड़ा (राज.)

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:-आदेश:-

दिनांक

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री गोपाल धाकड़ ने जरिये अभिभाषक श्री ओमप्रकाश धाकड़ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 29 पर अंकित आराजी संख्या 156 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी संख्या 157 रकबा 0.9389 हैक्टेयर, आराजी संख्या 299 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी संख्या 374 रकबा 0.4694 हैक्टेयर, आराजी संख्या 379 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 382 रकबा 0.6151 हैक्टेयर, आराजी संख्या 421 रकबा 0.9146 हैक्टेयर कुल किता 7 रकबा 3.1647 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं। प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 29 पर अंकित आराजी संख्या 156 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी संख्या 157 रकबा 0.9389 हैक्टेयर, आराजी संख्या 299 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी संख्या 374 रकबा 0.4694 हैक्टेयर, आराजी संख्या 379 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 382 रकबा 0.6151 हैक्टेयर, आराजी संख्या 421 रकबा 0.9146 हैक्टेयर कुल किता 7 रकबा 3.1647 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे। प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों। आदेश सुनाया गया।



3
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया तहसील, भीलवाड़ा